# कार्यालय प्राचार्य,शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर

दिनांक 13/03/2024

आवश्यक–सूचना

निदेशक स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना उच्च शिक्षा भोपाल के पत्र कमांक 942/आउशि/एसव्हीजीएस/2024 भोपाल दिनांक 11/03/2024 के परिपालन में महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियो को सूचित किया जाता है कि उक्त पत्र में अग्नीपथ/अग्निवीर योजना अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों के चयन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं इस पत्र की प्रति सूचना के साथ संलग्न है। उक्त कार्यवाही शासन स्तर से की जाना है।

उक्त योजना में भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी डॉ.विपिन कुमार मिश्रा एवं डॉ.पूर्णिमा बीसे से संपर्क करें।

संलग्न :– दिशा निर्देश संबंधी पत्र की छायाप्रति।

13/3/24

प्रभारी प्राचार्य,
शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर

प्राचार्य
शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय
इन्दौर

N.B.
वेबसाईट पर भी अपलोड करें
PDF Format करें।



Scanned with AnyScanner

# कार्यालय निदेशक, स्वामी विवेकानन्द कॅरियर मार्गदर्शन योजना
## उच्च शिक्षा, भोपाल (म.प्र.)

Email : hesvcgs@mp.gov.in, Telephone : 0755 2550064


---

क्रमांक / 942 / आउशि / SVCGS / 2024 भोपाल, दिनांक: 11 / 03 / 2024

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय
उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश

विषय :– अग्नीपथ / अग्निवीर योजना अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों के चयन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

––00––

अग्निपथ / अग्निवीर योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों में युवाओं की प्रतिभागिता बढ़ाना है ताकि युवा देशसेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकें। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अग्निवीर योजना में चयन सम्बंधित मार्गदर्शी दिशा निर्देश निम्नाननुसार है –

**संक्षिप्त विवरण :**

केंद्र सरकार ने तीनों सैन्य सेवाओं (थल सेना, नौ सेना और वायु सेना) में नए सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना प्रारंभ की है। इस योजना की घोषणा 16 जून 2022 को की गयी थी। इस योजना के तहत देशसेवा के लिए अभिप्रेरित युवाओं को चार वर्ष की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में अपनी सेवाएं देने का अवसर दिया जायेगा।

**योजना के उद्देश्य :**

1. योजना देश के उन युवाओ को अवसर प्रदान करती हैं जो कम अवधि के लिए भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा करने के इच्छुक हैं।
2. यह कार्यक्रम युवाओं के मध्य गतिशीलता, प्रेरणा, अनुशासन और कार्यकौशल जैसे विभिन्न गुणों को विकसित करने में मदद करता है।

**योजना की प्रमुख विशेषताएँ :**

1. मैरिट के आधार पर देश भर से युवा इस योजना में शामिल होकर इसका हिस्सा बन सकेंगे।
2. चार वर्ष की सेवा के पश्चात 25 प्रतिशत अग्निवीरों को उनकी कुशलता के आधार पर स्थाई किया जायेगा।
3. स्थाई कैडर का हिस्सा बन जाने के पश्चात अग्निवीरों को पेंशन तथा अन्य सुविधायें मुहैया कराई जाएगीं।
4. अग्निवीरों को छः माह तक प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके बाद 3 वर्ष 6 माह तक सेना में सेवा देनी होगी।
5. सेवा समाप्ति के पश्चात अग्निवीरों को उनकी कुशलता के अनुरूप स्किल्स् सर्टिफिकेट दिया जायेगा जो भविष्य में उन्हें रोजगार के नये अवसर प्रदान करेगा।

12/03/2024

निरंतर ......

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with AnyScanner

6. रक्षा मंत्रालय और विभिन्न राज्यों द्वारा उनकी बहाली प्रक्रिया जैसे केंद्रीय बल, राज्य पुलिस बल में अग्निवीरो को प्राथमिकता दी जाएगी।
7. इस योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को गैलेंट्री अवार्ड दिया जायेगा।

**अर्हताएं :**

1. अग्निवीर योजना के लिए उम्मीदवार की उम्र 17 वर्ष 6 माह से 23 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
2. आवदेक को बारहवीं कक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।

**नामांकन प्रक्रिया :**

1. अग्निपथ/अग्निवीर के लिए रक्षा मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट www.mod.gov.in पर पंजीकरण करना अनिवार्य है।
2. आवेदक को तहसीलदार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

**चयन प्रक्रिया :** भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में आयोजित की जाएगी।

**चरण 01 :**

ऑनलाइन परीक्षा वस्तुनिष्ट (MCQ) प्रश्नों पर आधारित होगी। उम्मीदवार के आवेदन की श्रेणी के अनुसार परीक्षा पैटर्न अलग–अलग होगा परन्तु अंकन योजना समस्त पदों के लिए समान रहेगी।

**चरण 02 :**

शार्टलिस्ट किये गए उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेजों/ प्रमाणपत्रों के साथ निर्धारित तिथि और समय पर रिपोर्ट करना होगा।

चरण 2 में आयोजित भर्ती रैली में शारीरिक फिटनेस टेस्ट देना अनिवार्य है, जिसके अंतर्गत 1.6 कि.मी. की दौड़, बीम (पुल–अप्स), 9 फिट डिच एवं ज़िग–ज़ैग बैलेंस क्वालीफाई करना अनिवार्य है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के उपरान्त, उम्मीदवारों को चिकित्सीय परीक्षण भी उत्तीर्ण करना होगा।

**वेतन एवं नियुक्ति :**

अग्निवीरों को प्रारंभ में राशि रूपये 30,000/– (तीस हजार रूपये) प्रतिमाह वेतन दिया जायेगा। सर्विस के चौथे साल तक बढ़कर राशि रूपये 40,000/– (चालीस हजार रूपये) तक हो जायेगी। चार वर्षो की सेवा समाप्ति के बाद 25 प्रतिशत अग्निवीर जो सेना में स्थाई सदस्य बनेंगे, उन्हें सेवा निधि से केवल उनके द्वारा की गयी जमा राशि प्राप्त होगी तथा 4 साल की सेवा समाप्ति के पश्चात सेना से बाहर होने पर उन्हें सेवा निधि के तहत लगभग रूपये 10.04 लाख ब्याज सहित दिये जायेंगे।

निरंतर ......

Scanned with AnyScanner

**अग्निवीर को मिलने वाले लाभ :**

1. अग्निवीर को अतिरिक्त मेडिकल छुट्टियों के साथ प्रतिवर्ष 30 दिनों तक की वार्षिक छुट्टी प्रदान की जायेगी।
2. अग्निवीरो को निर्धारित मापदंडो के अनुसार लागू जोखिम भत्ता, राशन और यात्रा भत्ते दिए जायेंगे।
3. सशस्त्र बल कार्मिक भविष्य निधि या किसी अन्य भविष्य निधि के लिए किसी भी राशि का भुगतान करने से छूट प्रदान की जायेगी।
4. अग्निवीर को सेवाकाल के दौरान राशि रूपये 48 लाख का गैर–अंशदायी जीवन बीमा कवर दिया जायेगा, लेकिन वे आर्मी ग्रुप बीमा एवं फंड योजनाओ/लाभों के लिए पात्र नही होंगे।
5. अग्निवीर भारतीय सेना के मापदंडो के अनुसार सम्मान और पुरुस्कार के हक़दार होंगे।

**महाविद्यालयों हेतु दिशा निर्देश :**

- महाविद्यालय में पदस्थ टी.पी.ओ., क्रीड़ा अधिकारी एवं एन.सी.सी. अधिकारी द्वारा (यदि महाविद्यालय में पदस्थ हों) संयुक्त रूप से अग्निवीर योजना हेतु चिन्हित विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया जाए।
- महाविद्यालय स्तर पर इच्छुक विद्यार्थी जो भर्ती हेतु फिजिकल मापदण्डों पूरा करते हैं, ऐसे विद्यार्थियों की सूची तैयार की जाए।
- इच्छुक विद्यार्थियों को अग्निवीर योजना के संबंध में परामर्श प्रदान किया जायेगा।
- योजना के विषय में अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार कर विद्यार्थियों को अवगत कराया जाए।

**(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)**

**(डॉ. सुनील कुमार सिंह)**
**निदेशक**
**एसवीसीजीएस, उच्च शिक्षा, म.प्र.**

पृ.क्रमांक/943/आउशि/SVCGS/2024 भोपाल, दिनांकः 11/03/2024

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मान. मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ।
3. गार्ड फाईल।

**निदेशक**
**एसवीसीजीएस, उच्च शिक्षा, म.प्र.**

84(SVCGS)

Scanned with AnyScanner